न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :–दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 88/2012

दायर दिनांक :– 13.06.2012उनवान

निर्णय दिनांक :– 17.03.2020

1. धर्मजीत पुत्र नन्दलाल जाति सहरिया निवासी चौराखाडी हाल गुवाडी तहसील भााहाबाद जिला बारां (राज0)
2.. सुरजन पुत्री नन्दलाल जाति सहरिया निवासी चौराखाडी हाल गुवाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज0)
3. श्रीमती पुत्री नन्दलाल जाति सहरिया निवासी चौराखाडी हाल गुवाडी तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)
4. मुन्नी पुत्री नन्दलाल जाति सहरिया निवासी चौराखाडी हाल निवासी ग्राम पुराना फरेदुआ तलहटी तहसील भााहाबाद जिला बारां (राज0)
5. श्यामलाल पुत्र देवलाल जाति सहरिया निवासी चौराखाडी हाल सनवाड़ा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. बालू पुत्र हीरा जाति सहरिया निवासी हरियानगर तहसील भााहाबाद जिला बारां (राज0)
2. राधे पुत्र हीरा जाति सहरिया निवासी हरियानगर तहसील भााहाबाद जिला बारां (राज0)
3. राजनलाल पुत्र हीरा जाति सहरिया निवासी हरियानगर तहसील भााहाबाद जिला बारां (राज0)
4. होतन पुत्र हीरा जाति सहरिया निवासी हरियानगर तहसील भााहाबाद जिला बारां (राज0)

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 183 आर. टी. एक्ट

दावा के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:–

1–ग्राम चौराखाडी पटवार मण्डल हल्का बीलखेडा डांग तहसील शाहबाद में वादीगण के सहखाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 215 रकबा 8.08 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ

स्थित है। इसकी जमाबन्दी खतोनी ग्राम चौराखाडी नई 62 व पुरानी 58 प्रस्तुत है। इस आराजी को आगे दावे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2–वादीगण ने दिनांक 14.10.2009 को वादीगण के सहखाते एवं कब्जे की उक्त विवादित आराजी में आकर जबरन अवैधानिक कब्जा प्रतिवादीगण ने कर लिया है। वादीगण ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने कब्जा छोडने से इन्कार किया और लड़ाई–झगडा करने को आमादा हुये। वादीगण ने पुलिसथाना कस्बाथाना में प्रतिवादीगण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवायी परन्तु उस पर कोई सुनवाई नही हुई। वादी ने प्रतिवादीगण से 06.05.2012 को भी अवैधानिक कब्जा हटाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट मना कर दिया और वादीगण को धमकी दी कि यदि तुम इस आराजी पर आये तो हम जान से मार देंगे। प्रतिवादीगण झगडालु प्रवृति के धनाढ्य ताकतवर व्यक्ति है। तथा वादीगण सरल स्वभाव के गरीब व्यक्ति है। जिसकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने वादीगण के खाते की उक्त विवादित आराजी पर अवैधानिक कब्जा कर लिया है। इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण को उक्त विवादित आराजी पर से निस्कासित कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह वाद पत्र प्रतिवादीगण के खिलाफ वादीगण द्वारा अवैधानिक कब्जे को व अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

3–वादीगण ने पुनः अन्तिम बार दिनांक 06.05.2012 को विवादित भूमि पर से प्रतिवादीगण को अतिक्रमण हटाने बाबत कहा तो वे साफ इन्कार हो गयें और लडाई झगडा करने को आमदा हुये और जान से मारने की धमकी दी इस कारण वादीगण को वाद कारण प्राप्त हुआ है।

अ– वादीगण के सहखाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 215 रकबा 8.08 बीघा किस्म बारानी चतृर्थ वाके चौराखाडी पटवार हल्का बीलखेडा डांग मे स्थित पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण एवं अवैधानिक कब्जा को हटाया जावें तथा अवैधानिक कब्जा हटाया जाकर उक्त विवादित आराजी पर वादीगण को कब्जा सम्भालाया जावें। तथा अतिक्रमण काल का क्षति धन भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें

ब– प्रतिवादीगण को निष्कासित उक्त विवादित भूमि से किया जाकर इस आश्य की स्थाई निधेषाधाज्ञा से भी पाबन्द फरमाया जावें। कि वह भविष्य मे वादीगण के कब्जे काश्त मे कोई हस्तक्षेप नही करें और वादीगण शान्तिपूर्वक काश्त करने दें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता वकालातनामा पेश किया। जवाब हेतु लंबा समय दिया गया, कई बार अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 18.11.2015 को वकील प्रतिवादी एवं स्वय प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। साक्ष्यवादी में Pw-1 धर्मजीत व Pw-2 श्यामलाल के बयान लिये गये ।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बाराँ (राज.)

बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया गया।

निष्कर्षः– वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमांबदी ग्राम चौराखाडी सम्वंत 2066–2069 (प्रदर्श–1) के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 215 रकबा 8.08 के खातेदार है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत निर्णय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद निर्णय दिनांक 25.03.2011 एवं अपीलादेश भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा दिनांक 21.02.2012 से जाहिर है कि वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नही होने से प्रतिवादीगण का कब्जा (अवैधांनिक) होने के कारण वाद एवं अपील खारीज की गई है। वाद के अन्तर्गत प्रस्तुत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बयान से भी यह स्पष्ट है। कि वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नही होकर प्रतिवादीगण का कब्जा है। इस तथ्य की पुष्टी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी होती है।

इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी निर्णय वाद 188 द्वारा उपखण्ड अधिकारी शाहबाद अपीलाादेश राजस्व अपील अधिकारी कोटा एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहबाद के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को विवादित आराजी ग्राम चौराखाडी खसरा नम्बर 215 रकबा 8.08 बीघा से बेदखल किया जाता है। तहसीलदार शाहबाद को आदेशित किया जाता है कि वे वादीगण को विवादित भूमि का कब्जा पुलिस थाने के सहयोग से ट्रैक्टर चलाकर सम्भलाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)